राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3820/2009

डॉ. देवा लाल कास्त पुत्र कन्हैयालाल कास्त, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी 2-पी-15, आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर के माध्यम से।
2. उप सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रेड द्वितीय) जयपुर, राजस्थान।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल प्रशासन राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आसींद, जिला भीलवाड़ा।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	डॉ. सचिन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चयन बोथरा की सहायता से
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री अनिल बिस्सा, एजीसी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>20/04/2024</u>

1. अपर निदेशक (एम & एच) और उप सचिव द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 19.09.2008 (अनुलग्नक 16) और 24.11.2008 (अनुलग्नक 17) के आदेशों से

व्यथित होकर, जिसके तहत प्रतिवादियों ने निजी अस्पताल में उपचार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया था, वह इसे रद्द करने की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष हैं।

2. संक्षेप में कहें तो मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में जूनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत था, जिसे 22.09.2003 को एमजी अस्पताल, भीलवाड़ा में भर्ती कराया गया था। बाद में गंभीर हालत होने पर उसे एसएमएस अस्पताल, जयपुर रेफर कर दिया गया।

2.1 याचिकाकर्ता ने एसएमएस अस्पताल के प्रमुख को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया ताकि उसे एस्कॉर्ट्स अस्पताल में रेफर किया जा सके। गंभीर रूप से बीमार होने के कारण, उसने एसएमएस अस्पताल के डॉ. आर.के. मधोक से तत्काल सुझाव मांगा, जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 01.10.2023 के माध्यम से उसे एस्कॉर्ट अस्पताल, दिल्ली में उपचार लेने की सलाह दी। लेकिन 02.10.2023 से 05.10.2023 तक दशहरा की छुट्टियों के कारण, उसे एस्कॉर्ट्स अस्पताल, नई दिल्ली में रेफर नहीं किया जा सका, क्योंकि वह अपने मूल विभाग से अनुमति नहीं ले सका। इस बीच, याचिकाकर्ता की हालत बिगड़ गई। इसलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एस्कॉर्ट्स अस्पताल, दिल्ली ले जाना पड़ा। प्रासंगिक रूप से, ऐसी आपात स्थिति में, याचिकाकर्ता को एसएमएस अस्पताल, जयपुर में डॉ. आरके मधोक (एएमए) द्वारा सलाह के अनुसार उक्त अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को एस्कॉर्ट्स अस्पताल, नई दिल्ली में आगे का इलाज मिला और 11.10.2003 को उसे वहां से छुट्टी दे दी गई।

2.2 इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया। हालांकि, केवल 50,000/- रुपए स्वीकृत किए गए। 01.06.2004 को याचिकाकर्ता ने शेष सभी प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसके अनुसरण में, दिनांक 11.08.2006 के कार्यालय आदेश के माध्यम से, सीएमएचओ को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

2.3 इसके बजाय, दिनांक 19.09.2008 के आक्षेपित आदेश के तहत याचिकाकर्ता को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि उसे उपचार के लिए 50,000/- रुपये का भुगतान किया गया था, जो 30,000/- रुपये की दर से उपलब्ध था। और दिनांक 24.11.2008 के एक अन्य आदेश के तहत, जिसका भी यहां विरोध किया

गया है, याचिकाकर्ता को 20,000/- रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। इसलिए यह याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में लिया गया बचाव अन्य बातों के साथ-साथ डॉ. मधोक द्वारा अपने लेटर-पैड पर दिए गए सुझाव मात्र का अर्थ यह नहीं है कि याचिकाकर्ता को 1970 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार रेफर किया गया था। एसएमएस अस्पताल द्वारा दिनांक 06.10.2003 के आदेश के तहत मेडिकल बोर्ड का विधिवत गठन किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता राय की प्रतीक्षा किए बिना, एस्कॉर्ट्स अस्पताल, नई दिल्ली में खुद ही पहुंच गया। इसलिए, याचिकाकर्ता को अपने किए गए गलत काम के लिए कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है और मेरा मानना है कि याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

5. कारण जानने के लिए बहुत दूर की बात नहीं है। आइए देखें कि कैसे।

6. जो स्थिति उभर कर सामने आती है वह यह है कि न तो याचिकाकर्ता की बीमारी विवादित है और न ही प्रासंगिक समय पर उसके द्वारा किया गया चिकित्सा उपचार विवादित है। केवल इसलिए कि सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल यानी एस्कॉर्ट्स अस्पताल, दिल्ली से उपचार करवाने के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया गया।

7. इस संबंध में, केसरा राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9571/2008, दिनांक 23.02.2024 को तय मामले में मेरे द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। तत्काल संदर्भ के लिए, प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई है:

> "7. निजी अस्पताल से आपातकालीन स्थिति में उपचार के लिए प्रतिपूर्ति की पात्रता के संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के दौरान विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है जैसे सुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य- (1996) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 336; शोभा देवी चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन राज 2868; थॉमस टी बनाम राजस्थान

राज्य और अन्य: एस.बी. इस न्यायालय द्वारा पारित सिविल रिट याचिका संख्या 3749/2006।

8. अब इस न्यायालय में दायर जवाब में बचाव पक्ष की दलीलों पर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के निजी अस्पताल में इलाज के लिए प्रतिपूर्ति के हकदार न होने के संबंध में कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया गया है। हालांकि, सीएमएचओ की ओर से 19.02.2008 को जारी किए गए आक्षेपित नोट/आदेश, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ यहां चुनौती दी गई है, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके दावे को निजी उपचार के कारण खारिज किया गया है।

9. XXXXXX

10. अंत में मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि विशेष रूप से सुरजीत सिंह (उपरोक्त) में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, और जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आत्मरक्षा के अधिकार के संदर्भ में सही ढंग से भरोसा किया है, जो एक मौलिक अधिकार है। याचिकाकर्ता का मामला उसमें दिए गए अनुपात द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, कानून में यह स्थापित स्थिति है कि किसी आपात स्थिति में चिकित्सा उपचार द्वारा स्वास्थ्य और आत्मरक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार के समान है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। यह अधिकार मौलिक, पवित्र, कीमती और अनुल्लंघनीय है। राज्य के कर्मचारियों को किसी आपात स्थिति में जीवन के लिए खतरा होने पर अपने जीवन को बचाने के लिए कदम उठाने का अधिकार है। तदनुसार, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को अपने आत्मरक्षा के लिए कदम उठाने का अधिकार है, जिसमें पूर्व मंजूरी की प्रतीक्षा

> किए बिना आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त करना और/या किसी सरकारी अस्पताल या अधिकृत अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय किसी निजी अस्पताल जैसे कि सोनी अस्पताल, जयपुर में जाना शामिल है, क्योंकि संबंधित समय पर जीवन को खतरा है। नतीजतन, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को उसके चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति का लाभ क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।"

8. उपरोक्त निर्णय की प्रयोज्यता के अलावा, याचिकाकर्ता का मामला राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 ('1970 के नियम') के प्रकाश में और भी बेहतर स्थिति में है।

9. उसी के नियम 7(1) का संदर्भ लिया जा सकता है, जो इस प्रकार है:-

> "7. **किसी ऐसे रोग का उपचार जिसका उपचार राज्य में उपलब्ध नहीं है** - (1) कोई सरकारी कर्मचारी और उसका परिवार का कोई सदस्य किसी ऐसे रोग से पीड़ित है जिसका उपचार राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो वह इस नियम के उपनियम (2) में दर्शाई गई सीमा तक राज्य के बाहर किसी अस्पताल/संस्था में चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने का हकदार होगा, बशर्ते कि यह किसी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्या की राय के आधार पर प्रमाणित किया गया हो कि रोगी जिस विशेष रोग से पीड़ित है उसका उपचार राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है और रोगी के स्वस्थ होने के लिए राज्य के बाहर किसी अस्पताल में उपचार कराना अत्यंत आवश्यक माना जाता है।"

10. उपर्युक्त नियम के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि याचिकाकर्ता किसी भी मामले में राजस्थान राज्य के बाहर उपचार लेने का हकदार है, यदि प्रस्तावित चिकित्सा उपचार राज्य सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है।

11. रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि दो प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है: (i) आपातकालीन स्थिति जिसके तहत याचिकाकर्ता को दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया था, (ii) राजस्थान के सरकारी अस्पताल में उपचार की अनुपलब्धता।

12. याचिकाकर्ता के दूसरे दावे के संबंध में, यह सिद्ध है कि एसएमएस अस्पताल, जयपुर में उपस्थित चिकित्सक ने स्वयं याचिकाकर्ता को एस्कॉर्ट्स अस्पताल दिल्ली में रेफर किया था, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता के दावे को एसएमएस अस्पताल में लागू दरों की सीमा तक अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए, यदि याचिकाकर्ता ने उक्त सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने का विकल्प चुना होता।

13. उपरोक्त मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी जाती है। अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) और उप सचिव द्वारा पारित दिनांक 19.09.2008 (अनुलग्नक 16) और 24.11.2008 (अनुलग्नक 17) के आदेश को अपास्त किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उचित सत्यापन के बाद एसएमएस अस्पताल में लागू दरों के अनुसार चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति करें, जो भी कम हो।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।